झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्व प्रकाशित विज्ञापन (PR no.-149114) के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न निर्देश दिया जाता है :–

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के Ekalyan (ekalyan.cgg.gov.in) पोर्टल पर पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु जिन छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है, वे अपने Login पर आवेदन का Status जाँच कर सुनिश्चित हो लें कि उक्त ऑनलाईन आवेदन में जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी के द्वारा Online निर्गत Certificate ही Upload किये गये हैं।

   यदि संबंधित छात्र–छात्राओं द्वारा जाति, आय एवं आवसीय प्रमाण पत्र Offline Certificate (Manual Siganture) Upload किये गये हैं तो Pending Status की स्थिति में पुनः अपने आवेदन पर Online Certificate Upload करना सुनिचित करें।
2. आवेदन में दिये गये आधार संख्या को बैंक खाता के साथ Seed कराना भी अनिवार्य है। Seeding का Status UIDAI के वेबसाईट https://resident.uidai.net.in/check-aadhaar-linking-status या मोबाईल से **99*99# डायल कर देखा जा सकता है। जिन छात्र–छात्राओं का आधार बैंक खाता के साथ Seeded एवं NPCI पर Mapped नहीं है वे अपने बैंक खाते के साथ आधार Seeding कराना सुनिश्चित करे। पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT योजना के तहत आधार संख्या के माध्यम से ही किया जायेगा।
3. **Online प्रमाण पत्रों को Upload करने एवं बैंक खाता को आधार संख्या के साथ Seed कराने की अंतिम तिथि 10.03.2017 तक विस्तारित की जाती है।**
4. **विस्तारित तिथि के पश्चात् अधुरे सभी आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के भुगतान अनुमान्य नही होगा।**

22/2/17

उप–निदेशक,
आदिवासी कल्याण।

E:\sunny\c.k.singh sir\Hindi letter 2